

1.	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है	श्रीमती साधना शर्मा
2.	पिता/पति का नाम— श्री विनोद शर्मा	रीडर
4.	वर्तमान वेतन	3. वर्तमान धारित पद
5.	वर्तमान पद का कुल वेतन	4. अगली वेतनवृद्धि
6.	वर्तमान वेतन	जुलाई 2015

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	“वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, “पट्टा, बंध, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	सम्पत्ति से अभियुक्त	
1	02	03	04	05	06	07	08
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

जहां लागू न हो काट दीजिये।

“ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

“इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टेप्णी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

श्रीमती साधना शर्मा

रीडर